भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1260
उत्तर देने की तारीख : 30.07.2024

पीएम-यशस्वी योजना

1260. श्री मुरारी लाल मीना:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा क्रियान्वित पीएम-यशस्वी योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में केंद्र और राज्य सरकार का हिस्सा 60:40 निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2019-20 से अब तक राजस्थान को कितनी केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है तथा शेष वर्ष-वार बकाया राशि कितनी है; और

(ग) शेष केंद्रीय सहायता कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) एवं विमुक्त जनजातियों (डीएनटी) के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में निधियां उपलब्ध कराता है। पूर्वोत्तर राज्यों तथा उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश राज्यों के बीच साझेदारी का अनुपात 90:10 का है। विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के लिए केंद्र द्वारा 100% निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

(ख): ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 से अभी तक राजस्थान को प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रूपए लाख में)

2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (दिनांक 25.07.2024 तक)
6813.04	1900.00	10226.00	2757.95	0.00	अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

* राजस्थान राज्य सरकार से अपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(ग): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के बजटीय आवंटन में से छात्रवृति अनुदान के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं।

******